आदेश दिनांक 22.1.24 को पेश की

22.1.24) पत्रावली पेश हुई।

वकील प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया है कि वादी ??सिंह फौत हो चुके हैं। जिनके वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु बावजूद वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया गया है। मृत व्यक्ति का वाद चलने योग्य नहीं रहने से खारिज फरमावें। जिस पर बावजूद वादी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गयी है। अतः वादी फौत हो जाने से दावा चलने योग्य नहीं रहता है। दावा वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर (जिला-जालोर)